The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

बौद्ध धर्म में महिलाएं : भिक्षुणी , देवी और गणिका का चित्रण

ज्ञान प्रकाश तिवारी
(शोधछात्र)
इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या] (उत्तर प्रदेश)

सारांश

बौद्ध धर्म में महिलाएं, एक ऐसा विषय है जिसे धर्मशास्त्र, इतिहास, पुरातत्त्व, नृविज्ञान और नारीवाद आदि सहित विभिन्न अकादमिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तत्कालीन परिवेष में विषयगत रुचियों में महिलाओं की धार्मिक स्थिति बौद्ध समाजों में अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र प्रतीत होती है। महिलाओं के साथ, घर और सार्वजनिक जीवन में होने वाले व्यवहार, अन्य धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में अधिक उदारता लिए हुए मिलता है। यदि हम सूत्र साहित्य तथा स्मृतियों को लें तो बौद्ध धर्म की महिलाओं का इतिहास अधिक स्वतंत्रता लिए मिलता है। यही नहीं बौद्ध महिलाओं के अनुभवों की तुलना समकालीन अन्य धर्मों से की जाय तो भी वे बहुत भिन्नता लिए हुए हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीन इतिहास एवं सामाजिक परिवेश में अनुमानित किया जा सकता है की भिक्षुणी, देवी और गणिका यह तीनों बौद्ध समकालीन स्थिति में भिन्न-भिन्न थी। भिक्षुणी, थेरीगाथा में वर्णित एक प्रबुद्ध महिला है जो बौद्ध और अन्य सभी भिक्षुणियो से सीखती है समुदाय और सह-साधना को महत्वपूर्ण मानती है और अपना ज्ञान प्राप्त कर सकती है। वह, न केवल समुदाय (संघ) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपितु समुदाय में सह-साधकों के रूप में कार्य करती है, जहां सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं जैसा कि थेरीगाथा में दर्शाया गया है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर सदैव तत्पर होते हैं। वहीं देवी का चित्रण अक्सर शक्ति, दिव्यता और पवित्रता से जुड़ा माना गया है जो किसी आध्यात्मिक एवं पौराणिक संदर्भ पर निर्भर करती है। ऐतिहासिक रूप से "गणिका" एक गणिका, या वेश्या को संदर्भित करती है गणिका का चित्रण अक्सर सामाजिक पदानुक्रम और उस समय की महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी महिलाएं समाज में एक अलग स्थान रखती थी हालांकि कुछ संस्कृतियों में गणिकाओं को उनके कला-कौशल के लिए सम्मान प्राप्त था।

उपरोक्त, तीनों शब्दों का अलग-अलग अर्थ एवं चित्रण प्रस्तुत होता है। अतः भिक्षुणी एक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाली महिला होती थी; देवी, शक्ति एवं दिव्यता का प्रतीक थी और गणिका एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति से जुड़ी एक महिला को संदर्भित करती थी।

The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

मुख्य बिंदु: बौद्ध धर्म, समुदाय, वेश्या, थेरीगाथा, आध्यात्मिक, संस्कृतियां।

परिचय

भगवान बुद्ध का युग गंगा नगरीकरण के उद्भव व विकास के साथ-साथ व्यक्तिवाद के उदय और तत्कालीन ब्राह्मण संस्कृति के हाशिए पर चले जाने का गवाह है। बुद्ध ने पुरुषों व महिलाओं को एक-एकीकृत व्यक्तित्व के पूरक पहलुओं के तौर पर करुणा व बुद्धि के रूप में देखा। व्यक्तिगत रूप में बुद्ध ने संघ के भीतर महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया। प्राचीन भारतीय महिलाओं की स्थिति समय, शासक और स्थान के अनुसार ऐतिहासिक रूप से बदलती रही है। भारतीय महिलाएं अपने ज्ञान और विज्ञान में योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध रही है। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संदर्भ में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। पूर्व-वैदिक साहित्यों में महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति में प्रदर्शित मिलती हैं, लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य में उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट प्रतिबिंबित होती है। इस काल में महिलाओं को पुरुषों के समक्ष भागीदारी का अवसर नहीं मिलता था, उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उनकी तुलना "विषैले सांप" से की जाने लगी और उनके साथ दूरी बनाए रखने के लिए सलाह दी जाने लगी। बौद्ध धर्म ने इस गिरावट को चुनौती दी और महिलाओं को सम्मान जनक स्थान प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोल दिए। बौद्ध धर्म ने यह स्वीकार किया कि महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, बौद्ध मठों में निवास कर सकती हैं, और बौद्ध भिक्षुणी बन सकती हैं। बौद्ध काल में महिलाओं को बौद्ध धर्म के साथ-साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं की रचनात्मकता और उनके अनुभवों को "थेरिगाथा" में संकलित किया गया ताकि आने वाले बौद्ध भिक्षुणियो के लिए यह ज्ञान एक मार्ग दर्शन का कार्य करें। कहीं महिलाओं को निर्वाण प्राप्त करने की घटनाओं का उल्लेख "विनयपिटक" जैसे पाली बौद्ध ग्रंथों में मिलता है अन्य प्राचीन धर्म जैसे वैदिक धर्म जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति काफी भिन्न और विशिष्ट रही है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से सम्मानजनक थी वह पुरुषों के समान धार्मिक गतिविधियों और विद्यार्जन में सक्रिय भागीदारी निभाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में सीमित भाग लेने की अनुमति मिली और धीरे-धीरे उन्हें इस गतिविधियों से पूर्णता वंचित कर दिया गया। बौद्ध धर्म ने इस सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी और महिलाओं को दो महत्वपूर्ण स्तरों पर भागीदारी का अवसर प्रदान किया, पहले महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्ति का अधिकार दिया गया, दूसरा जो महिलाएं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहती थी उनके लिए अलग बौद्ध संघ स्थापित किए गए शुरुआती बौद्ध काल या उसके आगमन से पहले के दशकों में महिलाओं की स्थिति त्रिस्तरीय पवित्रता से परिभाषित थी बचपन में पैदा हुए पिता पर निर्भर करती

थी, युवावस्था में पति की आज्ञाकारिणी बनती, और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित हो जाती हैं पिता, पति और पुत्र की महिलाओं के संरक्षक में माना जाता था, कि बौद्ध धर्म महिलाओं की इस विभिन्नता को किसी हद तक स्वीकारा गया, लेकिन उन्हें वासना की वस्तु और पुरुषों के भक्ति मार्ग में बाधा के रूप में देखा गया, उन्हें सब की तरह घटक और आज की तरह विनाशकारी माना जाता था। बौद्ध पंरपरा में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कठोर नियम बनाए गए जिनका पालन सभी के लिए अनिवार्य था। यह नियम ब्रह्मचर्य और पवित्रता बनाए रखने के लिए थे भिक्षुणियों को पुरुष भिक्षुओं से दूरी बनाए रखने के लिए के निर्देश थे और यह अनुशासन दोनों के लिए समान रूप से लागू था।

बौद्ध धर्म के प्राचीन इतिहास एवं सामाजिक परिवेश में अनुमानित किया जा सकता है की भिक्षुणी, देवी और गणिका यह तीनों बौद्ध समकालीन स्थिति में भिन्न-भिन्न थी भिक्षुणी "थेरीगाथा" ग्रंथ में वर्णित एक प्रबुद्ध महिला है जो बौद्ध और अन्य सभी भिक्षुणीयों से सिखती है समुदाय और सह-साधना को महत्वपूर्ण मानती है और अपना ज्ञान प्राप्त कर सकती है न समुदाय (संघ) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह समुदाय सह-साधकों के रूप में कार्य करता है, जहां सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं जैसा कि "थेरीगाथा" में दर्शाया गया है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर सदैव तत्पर होते हैं। वही देवी का चित्रण अक्सर शक्ति ,दिव्यता और पवित्रता से जुड़ा माना गया है जो किसी आध्यात्मिक एवं पौराणिक संदर्भ पर निर्भर करती है तथा ऐतिहासिक रूप से "गणिका" एक गणिका, या वेश्या को संदर्भित करती है गणिका का चित्रण अक्सर सामाजिक पदानुक्रम और उस समय की महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ माना जाता है ऐसी महिलाएं समाज में एक अलग स्थान रखती थी, हालांकि कुछ संस्कृतियों में गणिकाओं को उनके कला-कौशल के लिए सम्मानित भी किया जाता था।

साहित्य समीक्षा

जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों/वेदों में बहुत सी महिलाएं विद्वानों का उल्लेख आया है वैसे ही बौद्ध ग्रन्थों में भी बहुत सी महिलाएं एवं विदुषियों/देवी का उल्लेख है। इतिहासकारों में इस तथ्य पर वैचारिक मतभेद मिलते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत "मातृसत्तात्मक" रहे या "पितृसत्तात्मक"? ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध, महिलाओं को सैद्धांतिक रूप से पुरुषों के समान समझते थे। समाज के अंदर महिलाओं के अधिकारों की ओर बुद्ध का ध्यान इतना नहीं गया जितना ध्यान उन्हें मिलना चाहिए था। परंतु फिर भी जब भी मौके मिला तथागत ने अपने मन की बात कही। उनके द्वारा राजा प्रसेनजीत समाज का महत्वपूर्ण विषय है, पर्दा प्रथा बौद्ध समाज में पर्दा-पता का प्रचलन न था। स्त्री का चरित्र ही उसका आवरण है, माता के रूप में स्त्री को सम्मान प्रतीक व्यक्ति ने दिया है बौद्ध साहित्य में माता का स्थान बहुत ऊंचा है एक स्थान पर उसे

The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

देवता भी कहा गया है वृद्धावस्था में माता का निरीक्षण एवं परी पोषण पुत्र का परम कर्तव्य है तथा इसके लिए माता को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बौद्ध साहित्य में भी यह कहा गया है स्त्री पुरुष की शाखा है इस प्रकार बौद्ध साहित्य में बौद्धकाल के दौरान स्त्री समाज में नारी के दो के दो परस्पर विरोधी रूप प्रदर्शित किए गए हैं एक और वह नितांत दुष्ट प्रकृति की है, वह पाप स्वरूप है दूसरी और बूढ़ों ने नारी को नितांत शुभ वर्णों से अंकित किया है, अतः वह घृणा की पात्र नहीं हो सकती है स्त्री के पुनर्विवाह के अनेक उदाहरण -बौद्ध साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। एक जातक में प्रभावती अपने पति के साथ रहने में अनिच्छा प्रकट करती है तथा अन्य पुरुष के साथ विवाह करने का मत प्रकट करती है, दूसरे जातक में वेस्सनतर अपनी पत्नी मद्दी को दूसरा पति ढूंढ लेने की सहमति देता है, एक अन्य जातक में न्यायाधीश एक स्त्री को अपने पति का त्याग देने की सहमति देता है । अतः वह धार्मिक जीवन के लिए नितांत बाधक है, जातकों में अनेक अनेक कथाएं ऐसी हैं, जिनसे स्त्री के विश्वासघात कामवासना और छल प्रदर्शित होते हैं। उत्संग जातक में एक कथा है ख्1, एक स्त्री के पति पुत्र और भाई तीनों को फांसी का दंड मिला। राजा से स्त्री ने कहा कि हे देव, 'पुत्र मेरी गोद में है, पति मार्ग में दौड़ते हुए मिलते हैं, किंतु वह देश कहीं नहीं है जहां से सहोदर/भाई को प्राप्त कर सकूं'। अर्थात स्त्री ने भाई को प्रमुख स्थान पर रखा। यहां स्त्री की व्यवहार कुशलता वह चतुराई प्रकट होती है। इसके साथ-साथ निम्न दो कथाओं की भी विश्व साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध है बौद्ध भिक्षु महिलाओं से दूर रहते ठीक उसी तरह बौद्ध भिक्षुणियों भी अपने नियम कायदों से बन्धी रहती और पुरुषों से दूरियां बनाकर रखती थी। ऐसे आचरण बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों पर समान रूप से लागू होते थे और इनका पालन होता भी था। ये नियम आचरण की पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य को कठोरता से निभाने के लिए था। ख्2,, यह भी सत्य है कि अपने प्रिय शिष्य से आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म अपनाने, बौद्ध भिक्षुणियां बनने की बात मान ली। प्रारंभिक समय में भगवान बुद्ध महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश और भिक्षुणी संघ की स्थापना के प्रति अनिच्छुक थे। "महाप्रजापति गौतमी" जो रिश्ते में भगवान बुद्ध की मौसी लगती थी उन्होंने भी आग्रह किया कि स्त्रियों को और स्वयं "महाप्रजापति गौतमी" को संघ में प्रवेश दें। अंततः भगवान बुद्ध इन दोनों की बात ज्यादा दिनों तक टाल नहीं पाए और बौद्ध संघ स्त्रियों के लिए भी खोल दिए गए। पर शर्तों के साथ ही उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था बौद्ध ग्रंथ "विनयपिटक" में लिखा है कि भगवान बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश दे देने पर शिष्य आनंद को बुलाकर कहते हैं, कि अब जब बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश मिला गया है, तब यह धर्म 500 वर्ष ही चलेगा, यदि बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता तो यह धर्म 1000 वर्ष से अधिक चलता। अब स्त्रियों के संग प्रवेश से बौद्ध धर्म 500 वर्षों में ही पतन के कगार पर पहुंच जाएगा।3 बौद्ध संघ में महिला भक्तों अर्थात भिक्षुणियों को संघ के नियम कानून कायदों को

The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

माननना अनिवार्य था। महिला भक्तों अर्थात बौद्ध भिक्षुणियों को भिक्षुणियों के नियम कायदे मानने के साथ-साथ बौद्ध भिक्षुओं के नियम भी मानने पड़ते थे। इस तरह से बौद्ध महिला भक्तों को दोहरी नियमों का पालन करना पड़ता था। महिला बौद्ध भिक्षुणियों को बौद्ध संघ के वातावरण में डालने के लिए विनयपिटक एवं सुत्तपिटक ग्रंथ में 8 नियमों का अनुसरण करना जरूरी था, जो कि निम्नलिखित है -

1. भिक्षुओं को अभिवादन का नियम- किसी भी भिक्षु का दर्जा चाहे कनिष्ठ हो, समकक्ष हो, या वरिष्ठ, भिक्षुणियों को हमेशा भिक्षु का आदर पूर्वक अभिवादन करना होता था भिक्षुणियों को भिक्षु की उपस्थिति में हाथ जोड़कर खड़ा रहना और प्रणाम करना तब तक जारी रखना होता था जब तक वह भिक्षु वहां से चला ना जाए।
2. उपदेश और उपोसथ तिथि का ज्ञान- भिक्षुणियों को प्रत्येक पक्ष में भिक्षुओं से उपस्थित की तिथि और बौद्ध सिद्धांतों का उपदेश प्राप्त करना आवश्यक था ताकि वे उन सिद्धांतों का अनुसरण कर सकें।
3. अनुशासनहीनता पर परीक्षा- यदि कोई भिक्षुणी अनुशासनहीनता में लिप्त पाई जाती, तो उसे दोनों सन्घों (भिक्षु और भिक्षुणी) के समक्ष मनन्ता अनुशासन के अंतर्गत परीक्षा देने देनी होती थी। इसके बाद ही वहां संघ में वापसी कर सकती थी।
4. वर्षा ऋतु में नियम- भिक्षुणियों को वर्षा ऋतु के दौरान एकांतवास से बचाना पड़ता था जिस स्थान से भिक्षु पलायन कर जाते, भिक्षुणियांे को भी वहां से चले जाना चाहिए, ऐसा न करने पर उनके शोषण का खतरा बढ़ सकता था।
5. त्रिपठनीय निमंत्रण का पालन- भिक्षुणियों को भिक्षु, भिक्षुणियों और भिक्षु के बीच निमंत्रणों को स्वीकार करना होता था। यह नियम भिक्षुणियों को समुदाय के अनुशासन में बनाए रखने के लिए था।
6. दो वर्षों तक उपवास- भिक्षुणियों को प्रारंभिक दो वर्षों तक दोपहर के भोजन न करने का अतिरिक्त उपवास रखना पड़ता था। यह व्रत उनके नैतिक अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए था।
7. भिक्षुओं की आलोचना पर रोक- भिक्षुणियों को भिक्षुओं की आलोचना या उनकी बुराई करने से बचाना होता था, चाहे स्थिति कुछ भी हो उन्हें अपने आचरण को उच्च नैतिक मानकों के अनुसार बनाए रखना आवश्यक था।

8. भिक्षु का अधिकार- यदि कोई भिक्षुणी अनुशासनहीन होती तो, भिक्षु को उसे डांट-फटकार सकते थे, लेकिन भिक्षुणियों को भिक्षुओं को अपमानित करने का अधिकार नहीं था। किसी भी समस्या के समाधान के लिए भी भिक्षुणियों को वरिष्ठ भिक्षुओं के पास जाकर विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखनी होती थी।

इस प्रकार बौद्ध संघ में भिक्षुणी को आठ गुरु धर्मो "अट्ठ गुरु धम्मा" पालन स्वीकार करना पड़ता था। इन नियमों के पीछे भगवान बुद्ध को शायद यह भय था कि भिक्षु व भिक्षुणी का संपर्क कहीं उनके ब्रह्मचर्य के व्रत को भंग न कर दे। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध मानवीय चरित्र की दुर्बलताओं से भली-भांति परिचित थे। संघ में स्त्री प्रवेश निषेध के द्वारा उनके उद्दीपन की संभावनाओं को निर्मल करना चाहते थे। सारी सत्ता भिक्षु संघ के हाथ में रहे, इसलिए यह नियम बनाए गए इतने पर भी बौद्ध का अंतिम कथन यही था कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश से संघ की आयु क्षीण हो गई है। यदि स्त्री संघ में प्रवेश नहीं पाती तो यह धर्म 1000 वर्ष तक कायम रहता किंतु अब सधर्म स्त्रियों के प्रवेश के कारण पांच सौ वर्ष तक ही कायम रहेगा।4 यह कह पाना नितांत कठिन है कि उपरोक्त शब्द तथागत के ही थे कि बाद में किसी ने इसमें परिवर्तन कर दिया। क्योंकि यदि बुद्ध ऐसा सोंच रहे थे तो उनकी सोंच गलत सिद्ध हुई। बौद्ध धर्म न केवल हजारों वर्षों से जीवित है अपितु आज भी बहुत लोकप्रिय है।

80 वर्ष की आयु में बुद्ध का जब अंत समय आया उसी समय स्त्रियों के प्रति भिक्षुओं के बर्तन बर्ताव संबंधी प्रश्नों को लेकर आनंद ने प्रश्न पूछा कि हम स्त्रियों के साथ कैसा बर्ताव करें तब भगवान बुद्ध ने कहा-"कथं मयं मातुग्गामे पटिपज्जामात" (अर्थात किस प्रकार भन्ते, हम स्त्रियों के साथ बर्ताव करेंगे)। भगवान बुद्ध ने कहा-अदसनृन आनंदाति (न देखना आनंद) आनंद के पूछने पर भगवान बोले "अनालापों आनंदाति" (आलाप न करना आनंद), आलपन्तेन भन्ते कथं पटिपज्जातब्बं (आलाप भी करना पड़े तो भगवान कैसे करना चाहिए) भगवान ने उत्तर दिया, "सति आनंद उपट्ठापतब्बा" (स्मृति को आनंद संभाले रखना)।5

बुद्ध ने नारी को ज्ञानी मात्र वासल सृजनात्मक भद्र व सहिष्णुता के रूप में स्वीकार किया। बुद्ध शिष्याओं में महिलाएं थी जो मानसिकवादी दुखों से मुक्त होकर अर्हत बनी। इस प्रकार गौतम बुद्ध और आनंद जैसे शिष्यों का महिलाओं के प्रतिवाद ही सकारात्मक व क्रांतिकारी रुख था, बुद्ध ने स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से अपने संघ के दरवाजे खोलें। यह एक ऐसा समय था, जो उस समय के लिए एक साधारण बात नहीं थी, और जिसे बुद्ध की आलोचकों ने एक उग्र व खतरनाक कदम माना। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, उनमें एक शून्य उत्पन्न हुआ। बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के अभाव में आनंद जैसे महिलाओं के मुट्ठी भर बचे समर्थकों को संघ के उन भीतरी तत्वों ने अभीभूत

The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

कर दिया जो महिलाओं के प्रवेश को एक अपमान की बात मानते थे। यह राजगृह में आयोजित पहले बौद्ध संगति में विशेष रूप से मुखर हुआ जहां संघ में महिलाओं के प्रवेश के लिए आनंद को उत्तरदायी ठहराकर उसकी कड़ी आलोचना की गई। काल के इस चक्र में बौद्ध संघ ने "ब्राह्मणवाद/मनुस्मृति" की महिला विरोधी रूप को गले लगाया, जिसने लगातार महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट, नीच, विध्वंसक, विश्वासघाती, नमक-हराम, अविश्वासी, चरित्रहीन, गिरी हुई कामुक, ईर्ष्यालु, बेलगाम जैसे विश्लेषण से विभूषित किया था।6

बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण भारतीय महिलाओं के इतिहास में न केवल एक काला अध्याय था, बल्कि इसके परिणाम स्वरुप भिक्षुणियों संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया।

विनयपिटक में यह मानने के पर्याप्त प्रमाण है, "कि महिलाऐं मठीय समूह में उपस्थित थी, बल्कि कर्त्ता व शिक्षक के रूप में भी उन्हें प्रमुखता व सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना करके महिलाओं के लिए नए क्षितिज को खोला"। महिलाओं के लिए यह सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति उस समय की दृष्टि से आगे थी। जातक साहित्य बौद्ध कालीनयुग की प्रति छाया है। यह ऐसा दर्पण है जिसमें धर्म, दर्शन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक पहलू, आर्थिक व धार्मिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है।7

थेरीगाथा में भिक्षुणियों के वंश, सामाजिक कुलशील आदि के संबंध में यही कहा जा सकता है, कि वे विभिन्न परिस्थितियों के कारण बुद्ध की शरण में आई। उनमें से कौशल एवं मगध राजवंशों की महिलाएं, शाक्य व लिच्छिवी सामंती कुल की भिक्षुणियां, ब्राह्मण वंश से आकर बौद्ध धर्म में प्रज्जवलित हुई, ग्रहपति (वैश्य) वर्ग से निकलकर बौद्ध धर्म में प्रज्जवलित हुई, कुछ गणिकाएं संसार में विरक्त होने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर भिक्षुणी बन गई। दीन वर्ग से आहत भिक्षुणियां जैसे लोहार की पुत्री, एक बहेलिया की संतान थी।

थेरीगाथा में निबद्ध इन भिक्षुणियों के जीवनी उद्धारों से 500-600 ईशा पूर्व भारतीय समाज में नारी के स्थान पर भी प्राप्त प्रकाश पड़ता है। परंतु इस ग्रंथ का मुख्य आकर्षण उसकी काव्य एवं साधना का धरातल ही है। थेरीगाथा में भिक्षुणियां संसार के भोग-विलासों से दूर रहकर साधना अध्ययन एवं मनन का जीवन व्यतीत कर रही थी। इन विदुषी भिक्षुणियों में सर्वप्रथम महाप्रजापति का उल्लेख है। इन विदुषी भिक्षुणियों की साधना एवं विकृता ने बौद्ध व्यवस्था को अपेक्षाकृत उच्चतर बना दिया था। उन्हें निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार मिल चुका था। बौद्ध इतिहास की अमर नारियां-खेमा, किंशा गौतमी, धम्मदिन्ना और विशाखा आदि महात्मा बुद्ध के इस विश्वास की सत्यता की साक्षी है। बौद्ध संप्रदाय में भिक्षुणियों के बड़े-बड़े संघ थे। जिनमें कुछ भिक्षुणियां चतुर एवं विदुषी थी। थेरीगाथा में उनकी मानसिक शांति एवं

The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

बौद्धिक विकास का द्योतक है। विहारों में महिलाएं घर से वाह्य की गतिविधियों में सक्रिय हो सकती थी। जैसे-धर्म प्रचार, संगठनात्मक कौशलों का विकास और तो और ऐसा वातावरण जिसमें वे अपनी उपलब्धियों का अनुभव कर सकती थी। बौद्ध विचारधारा अपने आप में नागरीय विचारधारा कही जाती है अर्थात एक ऐसी विचारधारा जिसमें सभी को समान अवसर मिलता था।

बौद्ध धर्म ने महिलाओं को मुक्ति पाने तथा खुद को संयोजित करने का मौका दिया। इस प्रकार के वातावरण में थेरीगाथा जैसे-एक अद्वितीय ग्रंथ की रचना की गई। जिसका नाम हर बार तब लेना चाहिए, जब भी बौद्ध धर्म में महिलाओं की बात की जाए इससे आंकड़े संतुलित हो जाएंगे।

अशोकवदान में गौतम बुद्ध के समय के धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुयायियों में मां स्वरूप देवी शक्तियों का उद्भव माना गया है। राज्य में स्थापित सुलभ रूप से सांस्कृतिक एवं धार्मिक वातावरण बनाए रखने में महात्मा बुद्ध ने ऐसी विदुषी महिला/ देवियों का महत्वपूर्ण योगदान माना है।

श्रीलंका परंपरा के अनुसार अशोक ने विदिशा का दौरा किया, जहां उज्जैन जाते समय उन्हें एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। दीपवंश और महावंश के अनुसार-वह स्त्री देवी थी एक व्यापारी की पुत्री। व्यापारी की पुत्री से सीधा आशय श्रेणी से है। बौद्ध कालीन साहित्यों मे अनगिनत श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। बोध संघ मे प्रवेष पाने के लिए संबंधित श्रेणी से अनापत्ति अतिआवश्यक थी। महाबोधिवंश, देवी को महादेवी कहता है और गौतम बुद्ध के शाक्य वंश से संबद्ध करता है। बौद्ध समकालीन इतिहासकारों ने अशोक के परिवार को बुद्ध से जोड़ने के लिए शाक्य संबंध गढ़ा होगा। किन्तु कहीं से भी अशोक के राजा बनने के बाद देवी का उल्लेख उसकी रानी के तौर पर नहीं मिलता। अशोक की रानी का नाम आसंधिमित्त मिलता है जो संभवतः देवी नहीं है क्योंकि उसका उल्लेख महेंन्द्र और संघमित्ता की माँ के तौर पर अलग से किया गया है। यदि ऐसा है तो क्या देवी और अशोक का विवाह नहीं हुआ था।

अशोकवदान में देवी अशोक की पहली पत्नी और उनके पहले दो बच्चों, महेंद्र और संघमित्रा की माँ थीं। देवी का विवाह अशोक से तब हुआ था जब वे युवा थे, और उनके पहले बच्चों की वजह से देवी अशोक के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गईं थी।8 देवी अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके साथ फिर से जुड़ गईं, और उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की। देवी बौद्ध धर्म अपना चुकी थीं और उन्होंने अशोक के जीवन के बाद के चरण में उनके साथ मिलकर धर्म के प्रसार में सहायता की। बौद्ध साहित्य में कई विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, संयुक्तनिकाय में खेमा नमक विदुषी महिला/देवी (आदरणीय महिला) का वर्णन है, जिसका प्रवचन राजा प्रसेनजीत ख्8.।, ने सम्मानपूर्वक सुना। जो की संस्कृत एवं धार्मिक रूप से प्रवाह पूर्वक था, इसी तरह आगुंत्तर निकाय में विशाखा और धम्मदीना जैसी

The Brāhmī, International Multidisciplinary Research Journal
(Peer Reviewed, Referred & Open Access Journal)
Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

विद्वान विदुषियों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने स्वयं विशाखा की प्रशंसा करते हुए कहा है, कि वह एक ज्ञानवान, आध्यात्मिक और गुणी महिला है, जिनसे सभी को सीखना चाहिए। धम्मदीना और विशाखा के संवाद तथा बुद्ध की ओर से उनकी सराहना बौद्ध साहित्य में उनकी विद्वता-देवी स्वरूप महत्व को दर्शाती है। इन विद्वान महिलाओं ने न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझा, बल्कि उनके प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बौद्ध धर्म की सामाजिक, धार्मिक एवं बौद्धिक विकास का उद्भव किया। भिक्षुणी एक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाली महिला होती थी; देवी, शक्ति एवं दिव्यता का प्रतीक थी, अतः बौद्ध संघ मंे भिक्षुणी एवं देवी में मूलभूत अंतर था।

प्राचीन बौद्ध गं्रथों में आम्रपाली को एक गणिका के रूप में जाना जाता है जो राजनृत्यांगना थी, जिसका नाम एक 'अम्बपाली' या 'अम्बपालिका' भी है, जो अत्यंत सुन्दर उच्चकोटि की गणिका थी, उसे जो भी एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। गणिका के बारे में बताया गया है कि आम्रपाली को कश्मीर की "गिलगित पांडुलिपियां" में शामिल है इसके अतिरिक्त नागार्जुन द्वारा रचित महाप्रज्ञापारमिता-शास्त्र, भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक गं्रथ में भी उसके जीवन और दान का वर्णन मिलता है।

मौर्यकालीन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 'गणिका' को वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करने वाली महिला बताया है। कौटिल्य गणिकाओं की सात श्रेणियां भी निर्धारित करता है जैसे-गणिका, प्रतिगणिका, रूपजीवा, पश्चली, बंधकी आदि। कौटिल्य ने गणिकाओं के नियंत्रण के लिए एक राज्य के अधिकारी 'गाणिकाध्यक्ष' की चर्चा की है। वह गणिकाध्यक्ष के कर्तव्य को अपने दूसरे खंड में एक पूरे अध्याय में चर्चा करता है। गणिका कोई साधारण वैश्या नहीं थी, अपितु राज्य द्वारा नियुक्त संस्थागत स्थिति होती थी। उसको कुटुंब स्थापना के लिए 1000 पण का वेतन प्राप्त होता था। यदि कोई गणिका भाग जाती थी अथवा दिवंगत हो जाती थी तो उसकी मां किसी अस्थाई गणिका को नियुक्त करती थी, जो प्रतिगणिका भी हो सकती थी। नई गाणिका की नियुक्ति तक उसको 500 पण मिलते थे। गाणिका किसी गणिका के परिवार से ही हो सकती थी अथवा अन्य परिवार से भी हो सकती थी। यदि वह सुंदर, युवा और कला-निपुण हो। गणिकाओं को राजा को पंखा करने, सेवा करने और पानी का जग लेकर खड़े रहने, छाता लेकर खड़े रहने और उसकी पालकी के साथ चलने के लिए नियुक्त किया जाता था ;प्प्.27.1.4य ांदहसमए प्प्एच.164 द्ध। अतः गणिका कला-निपुण और समृद्धि होने के बावजूद भी स्वतंत्र जीवन जीने को स्वतंत्र नहीं थी। उसके आचार-व्यवहार नियंत्रित किए जाते थे। फिर भी गणिका के विरुद्ध हिंसा दंडनीय थी। यह नियम ;प्प्.27.14द्धि था कि यदि कोई पुरुष किसी गणिका को उसकी इच्छा के विपरीत बंधक बनाएं, उसको

Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

भगाने में सहयोग करें, या चोट पहुंचाकर उसकी सुंदरता को क्षति पहुंचाएं, उसको 1000 पण का दंड का प्रावधान था जो 48000 तक पर तक भी हो सकता था, क्योंकि गणिका (त्देवउ) मूल्य 24000 पण नियत होती थी ;प्प्.27.2द्ध। यदि प्राप्ताधिकारम (जो अपने अधिकरण के सभी लाभ अर्जित कर चुकी हो) गणिका की हत्या करें तो दंड राशि तीन गुना अर्थात 72000 पण हो जाती थी निसंदेह वह राज्य की कीमती खजाना होती थी। किसी गणिका की मातृका, दुहितृका (पुत्री), महिलादासी (रूप दासी) की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती थी। इनमें से किसी की भी हत्या हिंसा के सर्वोच्च दण्ड राशि के लिए पात्र हो जाती थी ;प्प्.27.17द्ध।

कौटिल्य निम्न वर्ग की महिलाओं का उल्लेख कई स्थान पर किया है। वह आसानी से राजकीय सेवाओं में लगाई जा सकती थी। वे गुप्तचरी या छोटे-छोटे काम में लगाई जाती थी। चुकी उनकी संख्या काफी थी अतः कौटिल्य उनके लिए नियम प्रतिपादित करता है। केवल कौटिल्य ही अर्धसितिक का उल्लेख करता है अर्धसितिक वह महिलाएं होती थी, जो आधे उत्पादन के बदले कृषि कार्य किया करती थी ;प्प्प्.13.9द्ध।

मेगास्थनीज बताता है कि मौर्य शासक महिला सुरक्षा गाड्र्स की सुरक्षा में रहा करता था और शिकार पर जाते समय रन घोड़े तथा हाथियों पर सवार सभी आवश्यक हथियारों से लैस महिला सुरक्षा कर्मी उसके साथ होती थी ख्9,, कौटिल्य के साक्ष्य उसे सामंजस मिलने प्राप्त होते हैं कौटिल्य कहता है कि राजा की नींद से उठते ही उसको सशस्त्र महिला करेंगे के द्वारा घेर लिया जाना चाहिए हमारे स्रोत इस बाबत ललचाने लायक चुप्पी साधे हैं कि (....55....) इन सशस्त्र महिलाओं का सामाजिक स्थिति क्या थी शिकार, धनुष विद्या दक्ष होना तथा हथियार चलाना समानता पुरुषों के काम माने जाते थे यह महिलाएं कैसे भर्ती और प्रशिक्षित की जाती रही होगी? ऐसा कहा गया है कि भरहुत कला में घुड़सवारी करती हुई महिला प्रदर्शित की गई है जो पूरी तरह से घुड़सवार की वर्दी में है और हाथ में पटाखा लिया हुआ है ख्9.।,।

इसमें ऋग्वेद (1.92.10) में उल्लेखित स्वघ्नि (महिला शिकारी) भी जोड़ी जा सकती हैं, जो उड़ती चिड़िया के टुकड़े कर डालती हैं। वराह-स्याम मंदिर, भीनमल, राजस्थान की 12वीं सदी की प्रतिमा का उल्लेख किया जा सकता है। जिसमें एक महिला शिकारी अपने कंधे पर एक छड़ी रखे हैं जिनमें दोनों सिरों पर जानवर लटक रहे हैं, जिसके दाहिनी तरफ उसके तीर संभाले एक पुरुष खड़ा है। ख्9.ठ,। यह महिला भील अथवा किरत हो सकती है। और संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य की महिला सुरक्षा कर्मी भी अटविक रही हो जिनके बारे में कौटिल्य ने चर्चा भी किया है कि वह विक्रांत (साहसी) होती थी, खुले में लड़ते थी और बहुसंख्यक थी। अटविकों ने अशोक को उनके साथ दण्डात्मक तथा समझौतावादी नीति

Volume: 03 | Issue: 01 | Mar - May, 2026 | ISSN: 3048-9660 (Online) | www.thebrahmi.com

अपनाने के लिए विवश किया था।

निष्कर्ष

बौद्ध धर्म में महिलाओं को सांसारिक मोह-माया से मुक्ति दिलाने तथा खुद को संयोजित करने का मौका दिया। उसे भिक्षुणी रूप देकर अशांत विश्व की मानवता को शांति का पाठ पढ़ने के लिए उद्बित किया। और बौद्ध संघ में प्रवेश दिलाकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। थेरीगाथा जैसे ग्रंथ यह भी दर्शाते हैं, कि महिला बौद्ध विदुषी (सम्मानित महिला) ने धर्म और ध्यान में उत्कृष्टता प्राप्त की। उनके अनुभव न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की कहानी है, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं की आध्यात्मिकता और ज्ञान की प्राप्ति में महिला और पुरुष समान है विशेष रूप से, थेरीगाथा में धम्मदीना और विशाखा जैसी विदुषी महिलाओं के जीवन प्रसंग बौद्ध धर्म में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं इन महिलाओं की विद्वता और नैतिकता की सराहना की है।

अतः अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने महिलाओं के संदर्भ में कई अनुभव प्रस्तुत किया, जिनमें महिलाओं की स्वतंत्र गतिविधियां महत्वपूर्ण है। महिलाओं का एक बड़ा समूह गरीबी, वर्गवेद तथा लिंगभेद के भेदभाव से बचने के लिए स्वतंत्र जीवनशैली अपना लिया करती थी।

संदर्भ: त्मिमितमदबम

1. मीना, पूरन लाल: बौद्ध धर्म और प्राचीन महिलाएं, प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस व िभ्पेजवतलए ;2020य2;1द्धरूच्ए43.45
2. सिंघल, डॉ. रंजना रानीः बौद्ध धर्म में स्त्रियों की भूमिका, त्मेमंतबी तमअपमू प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस व िउनसजपकपेबपचसपदंतलए 2019रूटवस.04एपेेनम.01एच्.01.07रू
3. विनय पिटक अट्टकथा रू म्क. श्र.जं्ाानेन - ड.छंहंपए ज्ीम ैंउंदजचंेेकपां ए ठनककींहीवेंश्े बवउउमदजंतल वद जीम अपदंलचपजंांए 8 टवसेए च्.16.20ए ;पदबसनकपदह पदकमग इल भ्ण्ज्ञवचचद्धए स्वदकंदए च्ज्ै ए 1947-75
4. सोनी, भानु प्रकाश: प्राचीन बौद्ध धर्म और महिलाएं, /2025ए प्श्रम्ब्ज्ए प्ैैछरू 2454.5988ए टवस.प्प्ए प्ेेनम.01ए च्.02.05

5. सिंह, उपेंद्र (2008). प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली, पृ.-331
6. डंरनउकंत त्.ब्. ..एमक.ए जीम ब्सं ेेपबंस ंबबवनदजे व ि प्दकपंए 1960ए थ्पतउं ज्ञ.स्. डनीवचंकीलंलए ब्ंसबनजजंए च.271
7. अशोकवदान, (1990)ः अपेंडिक्स 1, पृ-40-45
8. सराहो, के.टी. एस.(1990) अर्बन सेंटर एंड अर्बनाइजेशन एज रिफ्लेक्टेड इन द पाली विनय एंड सुत्तपिटक सेकंड रिवाइज एडिटेड संस्करण दिल्लीः डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 2007 पृ - 251-262
9.
   a. प्प्ए आगुंतर निकाय रू क्ींउउं ळपतपए संहंजचनतपए दमंत डनउइंपए प्दकपंए ज्ीम टपचंेेंदं तमेमंतबी पदेजपजनजमए सं.व.अनु. नव नालंदा प्रकाशन, भिक्खु काश्यप जगदीश , नालंदा 1958, पृ-192
   b. प्प्ए छपबीवसंे ैनजजंदए श्।द म्गचवेपजपवद व ि मंतसल ैउीलंए । च्तवरमबजपवद व ि जीम ठींूंज . ळपजं ंदक बतपजपुनम व ि जीम तवसम व ि भ्नउंद पद भ्पदकप ेवबपमजलरू ज्ीम ैनसंईीं . रंदंीं- ेंउअंकए ।ठव्प्ए 1999ए च्नदम ए2000ए टवस.80ए च्.;1.4द्ध
10.ए ।सजमांतए ।.ै. रू ज्ीम चवेपजपवद व ि ॅवउमद पद भ्पदकन बपअपसप्रंजपवदए 3तक मकपजपवदए क्मसीप रू डवजप स्स ठंदंतेप क्ंेए 1974ए च् ;97.104द्ध
11.ए डनससमत डंग थ्.रू ैंबतमक इववा व ि जीम म्ंेजए ज्तंदेसंजमक इल टंतपवने व्तपमदजंस ैबीवसंते ंदक मकपज.इलए रू ैंबतमक इववा व ि ठनककीपेज टवस. 35 च् ;35.52द्ध